फुलवारी शरीफ में वर्षों से एक काटन मिल चल रहा है। वहां 700 मजदूर काम करते हैं जिन पर हजारों लोगों का जीवन निर्भर है।

एटक से संबद्ध फुलवारी शरीफ सूती मिल मजदूर यूनियन से ज्ञात हुआ है कि बिहार काटन मिल्स लि० के प्रबंधनक ने गैर कानूनी तालाबंदी 20 जुलाई, 1982 से लागू कर दी है। साथ ही कारखाने के तमाम मजदूरों को बर्खास्त करने की घोषणा की गई है। कहते हैं कि इस प्रकार की तालाबन्दी और मजदूरों की बर्खास्तगी की घोषणा बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिहार सरकार के श्रमायुक्त से अनुमति लिए बिना कर दी गई है जो बिल्कुल गैर कानूनी और मजदूरों के हितों पर जबर्दस्त चोट करने वाली है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जो 1976 में संशोधित) के अध्याय 5 बी की धारा 25 (1) के अन्तर्गत बिहार काटन मिल्स लि० फुलवारी शरीफ का औद्योगिक विवाद आता है। इसके अनुसार प्रबंधन ने तालाबंदी का नोटिस 90 दिन पहले सरकार को नहीं दिया है।

कारखाने के प्रबन्धन ने तालाबन्दी को उचित ठहराते हुए जो नोटिस जारी किया है, उसमें दिए गए सारे तथ्य निराधार और मनगढ़ंत हैं। इसके पीछे कम्पनी की नीयत सरकार को धोखा देना तथा सरकार और बैंक के लिए हुए कर्ज, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लाखों रुपए को हड़प करना है।

मजदूरों की मांग है कि श्रम विभाग प्रबन्धन को फौरन निर्देश दें कि वे अपनी गैर-कानूनी तालाबन्दी को उठा लें; तमाम मजदूरों को काम पर वापिस ले लिया जाए, तालाबन्दी नहीं उठाने पर प्रबन्धन को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं मजदूरों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए भारत सरकार और उसके श्रम मंत्री से मांग करता हूं कि वे बिहार सरकार के श्रम विरोधी रवैये में परिवर्तन कर 700 मजदूरों तथा उन पर निर्भर हजारों व्यक्तियों को आज की भयंकर महंगाई में भूखों मरने से बचावें।

(vi) Need for early setting up of two more Units of Bharat Electronics.

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): It is a matter of great satisfaction that the Bharat Electronics, the nation's premier electronic manufacturning company in the public sector has in hand firm orders for equipment worth Rs. 350 crores. Its annual production capacity is just Rs. 100 crores and at this rate, without setting up units, it will take three to five years to fulfil these orders. A major portion of this unit is for electronic equipment used for tanks. Four years ago the Bharat Electronics had submitted proposals for setting up two more units. Since the tank factory is located at Avadi, Madras, BEL suggested the setting up of an unit at Madras, as it would be leading to better coordination in effecting supplies. The second unit may be proposed to be set up at Pune for supplies of specialised defence equipment to Defence units in Pune.

It is regrettable that the whole issue should take more than four years to decide. Now it is understood that the BEL has been asked to reconsider the site location for the two units and several places in industrially backward areas have been suggested. Bearing in mind the problems of transporting both raw materials and finished products these units may be located at alternate locations. The

[Shri Era Mohan]

decision of a commercial undertaking, particularly making sophisticated electronic equipment for defence and not public utility items of day to day living of the people should be final. The industrial backwardness of any area should not come in the way of BEL setting up these two units to manufacture electronic equipment for meeting the defence needs. There should be no change in the location of one unit of BEL at Madras.

(vii) NEED TO GIVE ABUNDANT ORDERS BY ECL TO ANCILLARY UNITS IN ASANSOL TO ENSURE THEIR SURVIVAL.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur): Sir, small scale ancillary units in Asansol area are on the verge of ruination due to non-cooperation from the Eastern Coalfields Limited. These ancillary units in Asansol used to get orders from ECL but for the last 16 months they are not getting any order from ECL. Sir, if these units are forced to close down, then livelihood for more than 5000 people attached with these units will be in peril. Sir, as per the instruction of Bureau of Public Enterprises (BPE) abundant orders should be given to these ancillary units for the development of small scale industry. For fixing the rate of 'coal tub' a meeting had been called in May, 1981 and in that meeting the representatives of the ancillary units protested at the final rate of Rs. 2,192/- for coal tub while the present rate stands at Rs. 2,500/-. After that meeting, ECL stopped order to these ancillary units. They placed order to various units in Bihar and even to far away Haryana and Maharashtra.

Sir, if this attitude is adopted by all the public sector undertakings, how can there be growth of small scale industry in the country ? Therefore, I urge upon the Government that for the survival of the ancillary units in Asansol area abundant orders should be given by the ECL to them.

I also demand that the Minister concerned make a statement in the House in this regard.

(viii) DEMAND TO RESTORE *status quo* OF REGISTRATION PROCEDURE IN DELHI UNIVERSITY AND JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सार्वजनिक शिक्षा में केवल कैपिटेशन पर नामांकन की व्यवस्था की ही बाधा नहीं है। अभी हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नामांकन के नियम में परिवर्तन कर बहुत से मेधावी छात्रों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ऊंची शिक्षा पाने की सुविधा से वंचित कर दिया है। बिहार में शिक्षित ऐसे बहुत से प्रवेशार्थी अब नए नियम के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। पिछले दिनों सदन में इस समस्या का उल्लेख हुआ था किन्तु अभी तक सन्तोषप्रद निदान नहीं निकाला गया है। इसी प्रकार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछड़ी जातियों के मेधावी प्रवेशार्थियों को जो सुविधा मिलती थी उसे प्रतिभा के नाम पर कम कर विश्वविद्यालय में इस वर्ग के छात्रों की संख्या नियंत्रित की गई है। यह सचमुच आश्चर्य का विषय है कि जहां हम पिछड़े वर्ग के लोगों को समान स्तर पर लाने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर विशेष अवसर देने की मांग करते हैं, वहां इस विश्वविद्यालय में उन्हें पहले से मिलने वाली सुविधा में भी कटौती की गई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन विश्वविद्यालयों में नामांकन की पद्धति पूर्ववत कर दी जाए।

(ix) RAILWAY SERVICES IN U.P.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई,